


अंचल कार्यालय, महागामा


केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 101/16/12

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री शमसेन बुग्रा वास्वा वा अंचल निरीक्षक श्री नारयेण बुग्रा वास्वा का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा वडुआ थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 02/24/36 दाग नं0 32 रकवा 06-12-13 किस्म पत्ती बरान श्री देवी राम भावारी पिता के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री देवी राम भावारी को दिनांक 08/01/16 समय 11:00 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।


अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख संख्या 101/16/12 अंचल बुग्रा अंचल बुग्रा वास्वा 11/01/16 को रद्द
साक्ष्य के रूप में दस्तावेज समर्पित करने हेतु सत्य की
जोरा दिया गया है अतः अभिलेख संख्या 101/16 को रद्द


अंचल अधिकारी,
310310

sandha

14/6/19

अभिलेख (उपस्थापित)
नोटिस निर्गम करें।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

8/7/19

अभिलेख (उपस्थापित) |
नोटिस धारिता ~~प्राप्त~~ नहीं किया गया। क्योंकि कोई
परिवारिक दफ्तर महागामा में नहीं रहता है।
अभिलेख 22.7.19 को करें।

22/7/19

अभिलेख (उपस्थापित)
विपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 22 को करें।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

31/7/2020

अभिलेख - उपस्थापित।
नोटिस निर्गम करें।

अंचल
महागामा।

अभिलेख उपस्थापित।

10/1/2020

राजस्व उपनिरीक्षक-सह प्रभारी अंचल निरीक्षक,
महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के
साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका
अवलोकन किया, प्रतिवेदनानुसार अवैध संदेहास्पद
पंजी-II रैंजत को भूमि सक्षम पर्यवेक्षारी से
प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि डी० सी० एल०
ECL के अधिग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखाधिकारी
अं अं
महागामा

अंचल अधिकारी
महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ..1.01.... / 2016-17 देवी राम प्रारवाड़ी
पिता-महादेव प्रारवाड़ी का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या1.01.... / 2016-17 देवी राम प्रारवाड़ी पिता- महादेव प्रारवाड़ी का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना नं0-692 के गैरमजरूआ खाता सं0-24/.36. के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा 26-12-13..... धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा / अनुमंडल पदाधिकारी, मोड्डा के ..R.A..... केश नं0-.....1.0 / 1960-61..... के माध्यम से देवी राम प्रारवाड़ी पिता- महादेव प्रारवाड़ी को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

10-12-22
PH
G